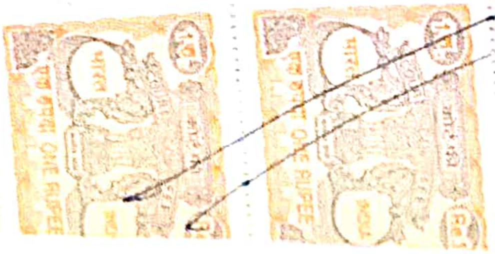

R.A. for report
18/03/20

फूलसिंह V/s लालूराम

11 01/22	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-19 गाईडलाईन के कारण पत्रावली दिनांक 23/03/22 को पेश हो।
23 03/22	पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता 3.40 अप्रार्थीगण अनुपस्थित। आयन्दा पत्रावली मुनासिब के साथ दिनांक 06/06/22 को पेश हो।
06 06/22	पत्रावली आज पेश हुई। अनुसार [illegible] वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है अतः यह प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मुलाहिजा हो।

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

फूलसिंह बनाम लल्लूराम व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

प्रार्थना पत्र – 212 जा०दी० संख्या 92 वर्ष 2019

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.08.2020	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक मे साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 23.11.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 546/0.16 548/0.39, 571/0.20, 572/0.11, 573/0.13, 574/0.15, 576/0.20, 577/0.18, 545/0.71, 575/0.14 है0 वाके ग्राम बाई तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी तिथि तक प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी मे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।। क्यों न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वय अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करें। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए०डी० के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	

10/11/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान ... कैम्प कोर्ट में ... मुख्यालय ... पर पेश हुई। ... उपस्थित/अनुपस्थित ... अतः पत्रावली ... 11/01/22

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर, तिजारा (अलवर)